(***Pdf) Royalty Account , Dr. HONEY SINHA Department of Commerce, .Bcom part 1st. sub- Financial Accounting Hons, Snsrks colleges saharsa***

***#Royalty Accounts#***

***(अधिकार-शुल्क खाते)***

विशेष प्रकार की सम्पत्तियों को प्रयोग करने के प्रतिफल में जो धनराशि प्रयोग करने वाले व्यक्ति के द्वारा उन सम्पत्तियों के स्वामी को दी जाती है, उसे अधिकार शुल्क (Royalty) कहते हैं। जैसे-खान (Mines) के स्वामी को खनिज पदार्थ निकालने वाले व्यवसायी से मिलने वाली धनराशि, पुस्तक के लेखक को प्रकाशक से मिलने वाली धनराशि, किसी गुप्त विधि (Secret Process) के स्वामी को उसे प्रयोग करने वाले से मिलने वाली धनराशि, पेटेन्ट के स्वामी को उसे प्रयोग करने वाले से मिलने वाली धनराशि आदि सब **अधिकार शुल्क (Royalty)** कहलाती हैं। प्राचीन काल में जब भारत में राजा महाराजाओं का बोलबाला था तब अधिकार-शुल्क शब्द कवल राजाओं को अपनी खानों से जो किराया प्राप्त होता था उसी के लिए प्रयोग किया जाता था लेकिन अब इसका प्रयोग विस्तश्त अर्थ में किया जाता है।

**अधिकार-शुल्क की कुछ प्रमुख परिभाषायें निम्नलिखित हैं :**-

जे० आर० बाटलीबॉय के शब्दों में, “अधिकार-शुल्क से अभिप्राय उस धनराशि से है जो कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिये गये विशेषाधिकार के प्रतिफल में देय होती है, जैसे एक पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार, एक पेटेन्ट वस्तु बनाने व बेचने का अधिकार या खान खोदने का अधिकार।”

**विलियम पिकिस के अनुसार,** “किसी सम्पत्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में एक व्यक्ति को देय पारिश्रमिक अधिकार-शुल्क होता है, चाहे इस सम्पत्ति को उस व्यक्ति से किराये पर लिया हो या खरीद लिया हो। इस धनराशि की गणना उस सम्पत्ति के प्रयोग में हुये उत्पादन या बिक्री की मात्रा पर की जाती है।”

उपर्युक्त वर्णित अधिकार-शुल्क की परिभाषाओं के विश्लेषणात्मक आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकार-शुल्क का आशय उस भुगतान की गई धनराशि से है जो कि दूसरों की कुछ विशेष प्रकार की सम्पत्तियों के प्रयोग करने के अधिकार के बदले किराये के रूप में दिया जाता है। इस भुगतान की गई धनराशि की गणना अधिकार प्रयोग से हुये उत्पादन या बिक्री की मात्रा पर आधारित होती है। ऐसी सम्पत्ति खान **(Mines), पेटेन्ट (Patent), कापीराइट (Copyright), व्यापार चिन्ह (Trade Mark), गुप्त निर्माण-विधि (Secret Manufacturing Process), यांत्रिक ज्ञान (Technical Knowledge)** आदि हो सकती हैं।

खानों के स्वामी को जमींदार (Landlord), कॉपीराइट का स्वामी, लेखक (Author), पेटेन्ट के स्वामी को पेटेन्टी (Patentee) कहते हैं। जमींदार, लेखकं या पेटेन्टी और पट्टेदार (Lessee) के बीच एक लिखित या मौखिक समझौता होता है जिसमें अधिकार प्रयोग की समस्त शर्ते (Conditions) व अधिकार शुल्क भुगतान की धनराशि व विधि तय की जाती है। यह समझौता मौखिक भी हो सकता है परन्तु भविष्य में आपसी झगड़ों से बचने के लिए लिखित समझौता ही अधिक उचित व न्यायपूर्ण रहता है।

कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का स्पष्टीकरण(Explaination of Some Important Terms)

पट्टा देने वाला या जमींदार (Leaser or Lessor or Landlord) : सम्पत्ति का स्वामी पट्टा देने वाला (Leaser or Lessor) या जमींदार (Landlord) कहलाता है।

पट्टेदार (Lessee) : सम्पत्ति को जो व्यवसायी किराये पर लेता है उसे पट्टेदार (Lessee) कहते हैं।

अधिकार-शुल्क (Royalty) : खानों की दशा में पट्टेदार द्वारा किये गये उत्पादन की मात्रा पर एक निश्चित दर से खान के स्वामी को धनराशि भुगतान की जाती है, पुस्तक के लेखक को उसके विक्रय मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत धनराशि प्रकाशक द्वारा लेखांकन को दी जाती हैं, इसी प्रकार पेटेन्टी को पेटेन्ट प्रयोग करने वाले से मिलने वाली एक मुक्त  वार्षिक धनराशि दी जाती है इन सबको अधिकार-शुल्क कहते हैं।

न्यूनतम किराया (Minimum Rent) : विशेष रूप से यह शब्द खान सम्बन्धा royalty Lease) में खान का स्वामी पट्टेदार से यह समझौता करता है कि वास्तविक आधिकार धनराशि से कम होने की दशा में जमींदार एक निश्चित धनराशि अवश्य लेगा, इसी पे ‘Rent) या मश्त या अनिवार्य किराया (Dead Rent) या निश्चित किराया (Fixed Rent हैं। ऐसे न्यूनतम किराये की व्यवस्था पट्टेदार को अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहित करती है ।

लघुकार्य (Shortworkings) : जब कम उत्पादन के कारण वास्तविक अधिकार-शुल्क का धनराशि से कम होती है, तो इस कमी को ही लघकार्य कहते हैं। जिस पट्टे में न्यूनतम किराये का प्रावधान होता है। जिस पट्टे में न्यूनतम किराये का प्रावधान होता है उसमें सामान्यतया यह भी रहता हाक लघुकाये की धनराशि को किसी सीमित या असीमित अवधि में भावी अतिरिक्त अधिकार-शुल्क का बनता से अपलिखित किया जा सकता है।

लघु कार्य पूरा करने का अधिकार(Right to Recoup Short workings)

अतिरिक्त आधिकार शुल्क धनराशि का अभिप्राय वास्तविक अधिकार-शुल्क की धनराशि का न्यूनतम किराये की धनराशि पर अधिकार (Right to Recoup आधिक्य (Surplus) से है। पट्टेदार के इस अधिकार को लघुकार्य परा करने का Shortworkings) कहते हैं। साधारणतया यह अधिकार पट्टे के शुरु में कुछ वर्षों के लिये दिया जाता है क्योंकि प्रारम्भ में खानों से खानज उत्पादन प्रारम्भ करने में कुछ समय बरबाद होता है और कुछ समय तक पूर्ण कशलता या गति से उत्पादन नहीं हो पाता है। अतः उस समय की लघुकार्य की धनराशि को पूरा करने का अधिकार पट्टेदार को दे दिया जाता है। लघूकार्य और आधिक्य की गणना करने के सूत्र निम्न

Shortworkings = Minimum Rent – Actual Royalties

Rs. 15000 – Rs. 12000 = Rs. 3000

Surplus = Actual Royalties – Minimum Rent

Rs. 20000 – Rs. 15000 = Rs 5000

### **अधिकार-शुल्क के विभिन्न प्रकार**

### **(Various Types of Royalties)**

***अधिकार-शुल्क निम्न प्रकार के होते हैं :***

(i) खान सम्बन्धी अधिकार-शुल्क (Mining Royalties);

(ii) पेटेन्ट सम्बन्धी अधिकार-शुल्क (Patent Royalties);

(iii) कॉपीराइट सम्बन्धी अधिकार-शुल्क (Copyright Royalties);

(iv) तेल के कुंओं से सम्बन्धित अधिकार-शुल्क (Oil Wells Rolayties):

(v) ईंट बनाने से सम्बन्धित अधिकार-शुल्क (Bricks Making Royalties);

(vi) उत्पादन या बिक्री पर अधिकार-शुल्क (Royalties on Proudction or Sales):

(vii) ट्रेड मार्क से सम्बन्धित अधिकार-शुल्क (Trade Mark Royalties);

(viii) मशीनों, गुप्त प्रक्रिया, तकनीकी ज्ञान आदि से, किया तकनीकी ज्ञान आदि से सम्बन्धित अधिकार-शुल्क (Royalties in connection with Machines, Secret Process, Technical knowledge etc.